Digitally signed by Kamleshwar Narayan
Date: 2024.07.05 17:24:30 +05:30
Location: 192.168.29.87

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान दीवानी वाद संख्या– 04/1995

सपनी कुई।
बनाम
सुमित्रा सवैयाँ।

आदेश

यह दीवानी वाद दिनांक– 18.04.1990 को सपनी कुई, पिता– स्व० सनातन सवैयाँ, ग्राम– डोबरोबासा, थाना– मंझारी, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule “B” में वर्णित भूमि के Declaration के लिए प्रतिवादी संख्या 1. सुमित्रा सवैयाँ, पति– स्व० विरेन्द्र सवैयाँ, 2. चरण सवैयाँ, पिता– स्व० मोचका सवैयाँ, 3. मन्दो सवैयाँ, पिता– स्व० मानगो सवैयाँ, सभी का ग्राम– डोबरोबासा, थाना– मंझारी, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से वादी या उनके अधिवक्ता की ओर से पैरवी नहीं की जा रही है। नोटिस भी भेजा गया। प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस मिलने के बाद अपना उपस्थिति दिया गया। लेकिन वादी की ओर से वाद भूमि के लिए किन्ही के द्वारा पक्ष नहीं रखा गया। इससे प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद भूमि में कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

05.04.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

05.04.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।